

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(134)एम.ई./ग्रुप-1/2014

जयपुर, दिनांक 7 JUN 2021

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.04.2021 के द्वारा मेडिकल ऑन्कोलोजी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार मेडिकल ऑन्कोलोजी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्द्वारा प्रसारित की जाती है :-

वरिष्ठ आचार्य/आचार्य

| क्र.सं. | नाम चिकित्सक शिक्षक | वर्ग    | जन्म तिथि  | डीएसीपी चयन वर्ष | डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि |
|---------|---------------------|---------|------------|------------------|------------------------------|
| 1.      | डॉ० गिरधर सिंह भाटी | सामान्य | 22.01.1957 | 2019-20          | वरिष्ठ आचार्य 01.04.2019     |

सह-आचार्य

|    |                             |         |            |         |            |
|----|-----------------------------|---------|------------|---------|------------|
| 1. | डॉ० सुरेन्द्र कुमार बेनीवाल | सामान्य | 27.11.1977 | 2019-20 | 01.04.2019 |
| 2. | डॉ० संदीप कुमार जासूजा      | सामान्य | 21.06.1973 | 2019-20 | 01.04.2019 |

आज्ञा से

4/6/2021  
(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

शिवशंकर

(शिव शंकर अग्रवाल)

शासन सहायक सचिव